आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक–28.08.2024 को 11.30 बजे अपराह्न में आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर की बैठक की कार्यवाही :–

आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर की अनुमति से संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्य एवं विशेष आमंत्रित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी ।

उपस्थिति :– यथा पंजी के अनुरूप।

1. सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा जानकारी दी गयी कि दिनांक–28.08.2024 को सम्पन्न क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के आलोक में अनुवर्त्ती कार्रवाई करते हुए अनुपालन किया जा रहा है।

2. सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर द्वारा बस के स्थायी परमिट एवं अन्य मामले हेतु कुल 47 आवेदन निर्णयार्थ बैठक में उपस्थापित किए गए। सचिव द्वारा जानकारी दी गई कि आवेदन नवशा, रूट की विवरणी एवं आवेदन के साथ संलग्न संगत प्रमाण–पत्र/कागजातों की वैधता/पात्रता/उपयुक्तता की सम्पूर्ण जॉच कार्यालय द्वारा कर ली गई है। कार्यालय द्वारा तैयार कार्यावली में वाहनों की विवरणी/समय सारणी/मार्ग/दूरी/प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की संख्या आदि की विवरणी भी अंकित है। समीक्षोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए जिसका विवरण अधोलिखित कंडिकाओं में वर्णित हैः–

दिनांक–28.08.2024 को प्राधिकार बोर्ड की बैठक में रखे जाने वाले सवारी गाड़ी की स्थायी परमिट हेतु प्राप्त आवेदन

कार्यावली संख्या – 01

प्राधिकार की बैठक दिनांक–14.06.2024 में लंबित संशोधित समय–सारणी।

क्र0 स0	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम एव पता	वाहन सं0/मोडल वर्ष/सीट की सख्या	आवेदित मार्ग/दूरी एव प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपो की स0 एव कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति की स्थिति (प्राप्त/अप्राप्त)	प्राधिकार का निर्णय
1	42	श्रीमती कुमकुम कुमारी पति –श्री संजय कुमार पता–गोरगामा, नयागाव जिला–बेगूसराय।	BR09PA-8768 BUS (2023) 41Seat मानदंड–BSVI	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग सख्या–3225DW बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टे0। भाया– बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखुंट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरो0, भागलपुर जीरो0। ट्रिप–02 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–23.08.24 फिटनेश–23.11.25 बीमा–09.11.24 प्रदूषण–23.11.24	आपत्तिकर्त्ता श्रीमती बुलबुल देवी वाहन सं0–BR09PA-8538 का कहना है कि आवेदनकर्त्ता श्रीमती कुमकुम कुमारी का लंबित संशोधन समय सारणी में ओभरटेक का मामला है। आवेदित वाहन सं0–BR09PA-8768 का भागलपुर रेलवे स्टेशन प्रस्थान 14:05 है एवं 05 किमी0 दूरी तय करने के बाद अगली पडाव भागलपुर जीरोमाईल मात्र 5 किमी0 की दूरी पर है। गाडी 14:05 प्रस्थान के बाद भागलपुर जीरोमाईल आगमन 14:25 प्रस्थान 14:52 अर्थात गाडी मात्र 05 किमी0 दूरी तय करने के बाद भागलपुर जीरोमाईल मे (14:25–14:52) अर्थात 27 मिनट का ठहराव किया गया है जो जनहित एवं यात्री जनहित एवं यात्री हित में नही है यह ठहराव दुर्भावना से ग्रसित ठहराव है, क्योकि भागलपुर जीरोमाईल प्रस्थान 14:52 के बाद खगडिया (17:22–17:39) अर्थात 17 मिनट ठहराव लिया गया है जबकि आपत्तिकर्त्ता वाहन सं0–BR09PA-8538 का भागलपुर रेलवे स्टेशन प्रस्थान 14:30 अर्थात 25 मिनट पीछे किया जाना है एव खगड़िया आगमन (15:25–15:33) है, जबकि वाहन सं0–BR09PA-8768 25 मिनट पहले प्रस्थान के बाद महेशखूट 16:50 प्रस्थान तथा आपत्तिकर्त्ता	दिनाक–14.06.2024 की बैठक में श्रीमती कुमकुम कुमारी के वाहन सं0–**BR09PA-8768** के परमिट आवेदन पर श्रीमती बुलबुल देवी के वाहन सं0–**BR09PA-8538** पर निर्णय के उपरान्त विचार करने का निर्णय लिया गया था। दिनाक–26.07.2024 की बैठक में वाहन सं0–**BR09PA-8538** के परमिट आवेदन की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं श्रीमती कुमकुम कुमारी को निदेश दिया गया कि आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी से टकराव के बिन्दुओं भागलपुर जीरोमाईल मे 14.42, मध्य बिन्दु महेशखूंट मे 16:53 पर, मध्य बिन्दु मानसी मे 17:15 पर एवं मध्य बिन्दु खगडिया मे 17.33 पर अगली बैठक में संशोधित समय–सारणी समर्पित किया जाय। आवेदनकर्त्ता

Scanned with CamScanner

						वाहन सं0– BR09PA-8538 का महेशखूट प्रस्थान 16.55 आगे खुलते है एवं खगड़िया 17.22 आगमन लेकिन खगड़िया में 17 मिनट ठहराव करके पुन 6 मिनट पीछे हो जाते है अर्थात आगे खुलना भागलपुर 27 मिनट ठहराव करना एवं पुन महेशखूट से 5 मिनट आगे खुलना एवं खगड़िया पीछे हो जाना ये ओभरटेक एवं गलत मंशा को दर्शाता है। आपत्तिकर्त्ता आवेदक BR09PA-8538 BR09PA-8768 भा0पुर रे0स्टे0 प्र0 14.30 14.05 (25 मि0 पहले) भागलपुर 0 माईल 14.47 14.25–14.52 (27 मिनट) महेशखूट 16.55 16.50 खगड़िया 17.25–17.33 17.22–17.39 (17 मि0 ठहराव) आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टेशन है।	द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर संशोधित समय–सारणी समर्पित किया गया है जिसपर आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी से कोई टकराव नहीं है। अतः परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
2	43	श्री संजय कुमार (बिहार राज्य पथ परिवहन निगम) पिता –श्री देवनन्दन प्रसाद सिंह पता–गोरगामा, नयागांव जिला–बेगूसराय।	BR09PA-8766 BUS (2023) 41 Seat मानदंड BSVI	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग संख्या–3200 बेगूसराय से भागलपुर भाया– बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल, भागलपुर। ट्रिप–02 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–23.08.24 फिटनेश–23.11.25 बीमा–09.11.24 प्रदूषण–23.11.24	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

कार्यावली संख्या – 02

प्राधिकार की बैठक दिनांक–26.07.2024 में लंबित संशोधित समय–सारणी।

3	37	श्री बिनीत कुमार पिता– राम नंदन सिंह, पता– पहसारा, नॉवकोठी, जिला–बेगुसराय।	BR09J-0101 BUS (2013) 36 Seat मानदंड BSIV	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग संख्या–3171 बरौनी जंक्शन से बखरी भाया–बेगुसराय, मंझौल, पहसारा ट्रिप–08 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–04.10.24 फिटनेश–19.10.24 बीमा–17.09.24 प्रदूषण–04.09.24	अप्राप्त	वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के नये वाहन से करने के शर्त पर परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
4	38	श्री बिनीत कुमार पिता– राम नंदन सिंह, पता– पहसारा, नॉवकोठी, जिला–बेगुसराय।	BR09H-0135 M/BUS (2010) 33Seat मानदंड BSIV	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग संख्या–3154 On बेगुसराय से शकरपुरा भाया–मंझौल, बखरी ट्रिप–06 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–19.08.24 फिटनेश–03.03.25 बीमा–18.12.24 प्रदूषण–20.09.24	अप्राप्त	वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के नये वाहन से करने के शर्त पर परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
5	39	श्री नित्यानंद सिंह(U/LA B.S.R.T.C) पिता–रामधन सिंह पता–गोरगामन नायागॉव जिला–बेगुसराय।	BR09M-0110 BUS (2014) 36 Seat मानदंड BSIV	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग सख्या–3225 बेगुसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया– बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, पसराहा,	टैक्स–18.09.24 फिटनेश–02.07.25 बीमा–09.03.25 प्रदूषण–03.09.24	आवेदनकर्त्ता B.S.R.T.C. (BR06PF-6809) के द्वारा परमिट का आवेदन पूर्व में किया गया था। आवेदनकर्त्ता का परमिट आवेदन 26.07.2024 को प्राधिकार की बैठक में रखा गया था। आपत्तिकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को मा0 उच्च न्यायालय, पटना के आदेश की प्रति समर्पित	दिनांक–26.07.2024 की बैठक में श्री नित्यानंद सिंह (U/LA **B.S.R.T.C.**) के वाहन सं0–**BR09M-0110** पर एक पक्ष के अन्दर **B.S.R.T.C.** द्वारा एकरारनामा समर्पित करने

बैठक-28.08.2024 04.09.24 4.9.24

Scanned with CamScanner

				नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर डीपो ट्रिप–02 (01 अप 01 डाउन)		करने हेतु आदेशित किया गया था। आपत्तिकर्त्ता प्राधिकार के निर्णय के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय, पटना के आदेश की प्रति दाखिल कर चुके हैं। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार B.S.R.T.C. को नया एकरारनामा की प्रति समर्पित करने हेतु आदेशित किया गया था। पूर्व के एकरारनामा मे दो माह की अवधि शेष है। यदि B.S.R.T.C. द्वारा एक पक्ष के अन्दर नया एकरारनामा की प्रति समर्पित की जाती है तो उपरोक्त टकराव के बिन्दु पर संशोधित समय–सारणी समर्पित करने के उपरान्त परमिट आवेदन पर विचार किया जायेगा। आवेदनकर्त्ता द्वारा नया एकरारनामा की प्रति दाखिल नही की गयी है। ऐसी परिस्थिति में प्राधिकार के निर्णय के अनुसार आवेदनकर्त्ता के संशोधित समय–सारणी पर विचार नहीं किया जा सकता है। आवेदनकर्त्ता के परमिट आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से भागलपुर रे0 स्टेशन है जबकि आपत्तिकर्त्ता का मार्ग भागलपुर रे0 स्टेशन से बेगूसराय है।	के उपरान्त श्री राजय कुमार के वाहन सं0–**BR06PF-6809** के समय–सारणी से प्रारंभ बिन्दु बेगूसराय मे 08.50 पर संशोधित समय–सारणी समर्पित करने के उपरान्त विचार करने का निर्णय लिया गया था। उक्त बिन्दु पर समय–सारणी से कोई टकराव नहीं है, परन्तु **B.S.R.T.C.** द्वारा नये एकरारनामा की प्रति समर्पित नहीं की गई है अपितु दोनो पक्षों द्वारा नया एकरारनामा करने संबंधी शपथ–पत्र समर्पित किया गया है। पुराना एकरारनामा दिनांक–09.11.2024 तक वैध है। अतएव इस शर्त्त के साथ परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है कि दिनांक–09.11.2024 के उपरान्त यदि **B.S.R.T.C.** द्वारा नया एकरारनामा समर्पित नहीं किया जाता है, तो प्राधिकार द्वारा परमिट रद्द कर दिया जाएगा। **B.S.R.T.C.** द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र समर्पित करने के उपरान्त ही परमिट निर्गत किया जाएगा।
6	40	श्रीमति सीमा कुमारी(U/LA B.S.R.T.C) पति–सुमित कुमार पता–पहसारा, नॉवकोठी, जिला–बेगूसराय।	BR09PA-1035 BUS (2017) 36 seat मानदंड–BSIV	प्रकाशन–10.07.24 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225 बेगुसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया– बलिया, खगडिया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर डिपो । ट्रिप–02 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–29.09.24 फिटनेश–31.03.26 बीमा–28.02.25 प्रदूषण–18.06.25	आवेदनकर्त्ता B.S.R.T.C. (BR06PA-6655) के द्वारा परमिट का आवेदन पूर्व में किया गया था। आवेदनकर्त्ता का परमिट आवेदन 26.07.2024 को प्राधिकार की बैठक में रखा गया था। आपत्तिकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को मा0 उच्च न्यायालय, पटना के आदेश की प्रति समर्पित करने हेतु आदेशित किया गया था। आपत्तिकर्त्ता प्राधिकार के निर्णय के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय, पटना के आदेश की प्रति दाखिल कर चुके हैं। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार B.S.R.T.C. को नया एकरारनामा की प्रति समर्पित करने हेतु आदेशित किया गया था। पूर्व के एकरारनामा में दो माह की अवधि शेष है। यदि B.S.R.T.C. द्वारा एक पक्ष के अन्दर नया एकरारनामा की प्रति समर्पित की जाती है तो उपरोक्त टकराव के बिन्दु पर संशोधित समय–सारणी समर्पित करने के उपरान्त परमिट आवेदन पर विचार किया जायेगा। आवेदनकर्त्ता द्वारा नया एकरारनामा की प्रति दाखिल नहीं की गयी है। ऐसी परिस्थिति में प्राधिकार के	दिनांक–26.07.2024 की बैठक में श्रीमती सीमा कुमारी (**U/LA B.S.R.T.C.**) के वाहन सं0–**BR09PA-1035** पर एक पक्ष के अन्दर **B.S.R.T.C.** द्वारा एकरारनामा समर्पित करने के उपरान्त श्री अंकज कुमार के वाहन सं0–**BR09PA-6655** के समय–सारणी से मध्य बिन्दु बलिया में 14:50, मध्य बिन्दु पसराहा मे 08:24, मध्य बिन्दु नारायणपुर में 08:50 तथा मध्य बिन्दु थाना विहपुर में 09:07 पर संशोधित समय–सारणी समर्पित करने के उपरान्त विचार करने का निर्णय लिया गया था। उक्त बिन्दु पर समय–सारणी से कोई टकराव नहीं है, परन्तु **B.S.R.T.C.** द्वारा नये एकरारनामा की प्रति

बैठक-28.08.2024 04.09.24 4.9.24

Scanned with CamScanner

						निर्णय के अनुसार आवेदनकर्त्ता के संशोधित समय–सारणी पर विचार नहीं किया जा सकता है। आवेदनकर्त्ता के परमिट आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टेशन है।	समर्पित नहीं की गई है अपितु दोनों पक्षों द्वारा नया एकरारनामा करने सबंधी शपथ–पत्र समर्पित किया गया है। पुराना एकरारनामा दिनांक–09.11.2024 तक वैध है। अतएव इस शर्त के साथ परमिट आवेदन की स्वीकृति दी जाती है कि दिनांक–09.11.2024 के उपरान्त यदि **B.S.R.T.C.** द्वारा नया एकरारनामा समर्पित नहीं किया जाता है, तो प्राधिकार द्वारा परमिट रद्द कर दिया जाएगा। **B.S.R.T.C.** द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र समर्पित करने के उपरान्त ही परमिट निर्गत किया जाएगा।
7	41	श्री अविनाश कुमार पिता–बच्चु सिह पता–गोडापुर, पतालपुरी मंदिर न्यू एरिया, जिला–नवादा।	BR25PA-4953 BUS (2015) 42 Seat मानदंड BSIV	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग संख्या–3075 नवादा से मल्लेपुर स्टेशन। भाया–पकरीबरमा, आढामोड, अलीगंज, सिकन्दरा, मसौडीचौक ट्रिप–04 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–05.04.25 फिटनेश–09.07.25 बीमा–03.01.25 प्रदूषण–25.08.24	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

कार्यावली संख्या – 03

(स्थायी परमिट)
आपत्ति प्राप्त एवं अप्राप्त नया आवेदन

क्र0 स0	आवेदन क्रमाक	आवेदक का नाम एव पता	वाहन सं0/मोडल वर्ष/सीट की संख्या	आवेदित मार्ग/दूरी एव प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपों की सं0 एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	आपत्ति की स्थिति (प्राप्त/अप्राप्त)	प्राधिकार का निर्णय
8	1	श्रीमती सीमा देवी पति– श्री सुमित कुमार पता– पहसारा, जिला–बेगुसराय।	BR09H-4940 BUS (2011) 41 Seat मानदंड BSIV	प्रकाशन–12.08.2024 अधिसूचित मार्ग संख्या–3154 बेगूसराय से शकरपुरा। भाया–मंझौल, बखरी। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–27.10.24 फिटनेश–19.09.24 बीमा–19.01.25 प्रदूषण–03.09.24	अप्राप्त	वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के नये वाहन से करने के शर्त पर परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
9	2	श्री अजीत कुमार पिता– श्री रामनंदन सिह पता–पहसारा, जिला–बेगुसराय।	BR09PA-9165 BUS (2024) 45 Seat मानदंड–BSVI	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225DW बेगूसराय से भागलपुर रे0स्टे0 भाया–बलिया, खगडिया, मानसी, महेशखूंट, पसराहा, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल ट्रिप–02 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–05.09.24 फिटनेश–05.06.26 बीमा–07.05.25 प्रदूषण–नयी वाहन	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

बैठक – 28.08.2024 04.09.24

4.9.24

Scanned with CamScanner

10	3	श्री अमरजीत कुमार पिता–श्री रामनंदन सिंह पता–पहसारा, जिला–बेगुसराय।	BR09PA-8532 BUS (2023) 41 Seat मानदंड–BSVI	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग संख्या–3171 बरौनी ज0 से बखरी। भाया–बेगूसराय, मंझौल एवं पहसारा। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–18.09.24 फिटनेश–1809.25 बीमा–14.09.24 प्रदूषण–अप्राप्त	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
11	4	श्रीमती सुनीता देवी पति–श्री सुधीर कुमार, पता–पहसारा, जिला–बेगुसराय।	BR09PA-9161 BUS (2024) 45 Seat मानदंड–BSVI	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225DW बेगुसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–05.09.24 फिटनेश–05.06.26 बीमा–14.04.25 प्रदूषण–नयी वाहन	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
12	5	श्री अजीत कुमार पिता–राम नंदन सिंह, पता–पहसारा, नॉवकोठी, जिला–बेगुसराय।	BR09H-5198 BUS (2011) 41 Seat मानदंड–BSIV	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग संख्या–3154Dw बेगूसराय से शकरपुरा, भाया–मंझौल, बखरी। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–17.08.24 फिटनेश–24.09.24 बीमा–09.12.24 प्रदूषण–03.09.24	1. आपत्तिकर्त्ता श्री नीरज कुमार सिंह वाहन सं0–BR7P-4113 का कहना है कि मेरे वाहन का निम्न टकराव है आवेदक आपत्तिकर्त्ता मंझौल प्र0 10:46 10:45 मंझौल मध्य बिन्दु पर दोनों वाहन के समय–सारणी में मात्र 01(एक) मिनट का अन्तराल है। आवेदनकर्त्ता का मार्ग सं0–3154 डाउन पर परमिट का आवेदन किया है। मार्ग सं0–3154 डाउन शकरपुरा से बेगूसराय है। आवेदनकर्त्ता का मार्ग सं0 गलत है। आवेदन अस्वीकृत करने का आदेश दिया जाय। आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता के परमिट आवेदन से पूर्व परमिट के लिए ऑनलाईन आवेदन किये हैं। प्रार्थना है कि आवेदनकर्त्ता का आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाय। 2. आपत्तिकर्त्ता श्री नीरज कुमार सिंह वाहन सं0–BR01PF-4872 का कहना है कि मेरे वाहन का निम्न टकराव है आवेदक आपत्तिकर्त्ता शकरपुरा प्र0 07.23 07.25 शकरपुरा मुख्य बिन्दु पर दोनों वाहन के समय सारणी में मात्र 02(दो) मिनट अन्तराल है। आवेदनकर्त्ता का परमिट आवेदन मार्ग सं0–3154 डाउन पर किया गया है। मार्ग सं0–3154 डाउन शकरपुरा से बेगूसराय है। आवेदनकर्त्ता का मार्ग सं0 त्रुटिपूर्ण है। आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता से पूर्व ऑनलाईन परमिट का आवेदन किया है। 3. आपत्तिकर्त्ता श्री दिलीप कुमार वाहन सं0–BR06PC-5310 का कहना है कि मेरे वाहन का निम्न टकराव है आवेदक आपत्तिकर्त्ता बखरी प्र0 11:42 11:45	प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री नीरज कुमार सिंह के वाहन सं0– BR7P-4113 का परमिट आवेदन इस बैठक में क्रम सं0–20 आवेदन क्रमांक 13 पर उपस्थापित है। आवेदनकर्त्ता आवेदन समर्पित करने के क्रम में आपत्तिकर्त्ता से वरीय है। अतएव यह आपत्ति मान्य नहीं है। द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री नीरज कुमार सिंह के वाहन सं0–BR01PF-4872 का परमिट आवेदन इस बैठक में क्रम सं0–18 आवेदन क्रमांक 11 पर उपस्थापित है। आवेदनकर्त्ता आवेदन करने के क्रम में द्वितीय आपत्तिकर्त्ता से वरीय है। अतएव यह आपत्ति मान्य नहीं है। तृतीय आपत्तिकर्त्ता श्री दिलीप कुमार के वाहन सं0– BR06PC-5310 के समय–सारणी से मध्य बिन्दु बखरी में 11:42 एवं 17:12 पर टकराव है। अतएव तृतीय आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी से उपरोक्त टकराव के बिन्दुओं पर अगली बैठक में संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है। पुनः उक्त

बैठक – 28.08.2024 04.09.24

4-9.24

Scanned with CamScanner

					बखरी प्र0 17.12 17.15 बखरी मुख्य बिन्दु पर दोनो वाहन के समय सारणी मे मात्र 03 (तीन) मिनट अन्तराल है। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार मध्य बिन्दु पर पाँच मिनट का अन्तराल होना चाहिए। आवेदनकर्त्ता एव द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से शकरपुरा है। प्रथम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग शहरबन्नी से बेगूसराय तथा तृतीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग अलौली से बेगूसराय है।	बिन्दुओं पर टकराव होने अथवा अगली बैठक मे संशोधित समय–सारणी समर्पित नही करने की स्थिति मे आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
13	6	श्री नित्यानंद सिंह पिता– श्री रामधन सिंह पता–गोरगामा, जिला–बेगुसराय।	BR06PF-1249 BUS (2021) 35 Seat मानदंड BSVI	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग सख्या–3225DW बेगुसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–17.09.24 फिटनेश–25.04.25 बीमा–16.04.25 प्रदूषण–10.05.25	1. आपत्तिकर्त्ता श्री राज कुमार वाहन स0–BR09P-8511 का कहना है कि मेरे वाहन का निम्न टकराव है :– आवेदक आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 10.15 10.20 आवेदनकर्त्ता का वाहन नौगछिया जीरो माईल से 14.00 बजे प्रस्थान कर भागलपुर जीरो माईल 14.20 मे आगमन करती है। आवेदनकर्त्ता 16 किमी की दूरी 20 मिनट मे तय करती है। नौगछिया जीरो माईल तथा भागलपुर जीरो माईल के बीच गगा नदी पर पुल है। आवेदनकर्त्ता गति सीमा का उल्लघन कर रहे है। बेगूसराय मुख्य बिन्दु पर दोनो वाहन के समय–सारणी मे 05 (पाँच) मिनट का अन्तराल है। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार मुख्य बिन्दु पर 10(दस) मिनट का अन्तराल होना चाहिए। आपत्तिकर्त्ता का ऑनलाईन परमिट आवेदन आवेदनकर्त्ता से पहले किया गया है। 2. आपत्तिकर्त्ता श्री अकज कुमार वाहन स0–BR09PA-6655 का कहना है कि मेरे वाहन का निम्न टकराव है :– आवेदक आपत्तिकर्त्ता नौगछिया0माईल प्र0 16.35 16.38 थाना बिहपुर प्र0 17.00 16.57 महेशखूंट प्रस्थान 18.15 18.11 मानसी प्रस्थान 18.35 18.31 खगडिया प्रस्थान 18.55 18.52 दोनो वाहन के समय–सारणी मे मध्य बिन्दु पर तीन मिनट, चार मिनट का अन्तराल है। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार मध्य बिन्दु पर 05 (पाँच) मिनट का अन्तराल होना चाहिए। आपत्तिकर्त्ता का ऑनलाईन परमिट आवेदन आवेदनकर्त्ता के ऑनलाईन परमिट आवेदन के पहले किया गया है। 3. आपत्तिकर्त्ता श्री रजन कुमार वाहन स0–BR9F-7803 का कहना है कि मेरे वाहन का निम्न टकराव है :– आवेदक आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 10.15 10.20 बेगूसराय मुख्य बिन्दु पर आवेदनकर्त्ता तथा आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी मे पाँच मिनट अन्तराल है। आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी के पाँच मिनट पहले आवेदन किये है।	प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री राज कुमार के वाहन स0–BR09P-8511 का परमिट आवेदन इस बैठक मे क्रम स0–15 आवेदन क्रमाक 08 पर उपस्थापित है। आवेदन समर्पित करने के क्रम मे आवेदनकर्त्ता प्रथम आपत्तिकर्ता से वरीय है। अतएव यह आपत्ति मान्य नही है। द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री अकज कुमार वाहन स0–BR09PA-6655 का परमिट आवेदन इस बैठक मे क्रम स0–16 आवेदन क्रमाक 09 पर उपस्थापित है। आवेदनकर्त्ता आवेदन करने के क्रम मे द्वितीय आपत्तिकर्त्ता से वरीय है। अतएव यह आपत्ति मान्य नही है। तृतीय आपत्तिकर्ता श्री रजन कुमार वाहन स0–BR9F-7803 का परमिट ऑफलाईन है, जिसका मार्ग त्रुटिपूर्ण है। वाहन की आयु 14 वर्ष 11 माह से उपर हो चुकी है। इनका परमिट ऑनलाईन प्रविष्टि हेतु मामला प्राधिकार मे प्रक्रियाधीन है। उपरोक्त आलोक मे कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि तृतीय आपत्तिकर्त्ता श्री रजन कुमार के वाहन स0– BR9F-7803 का ऑफलाईन परमिट का यदि मार्ग सही है, तो ऑनलाईन मे इसकी प्रविष्टि करने हेतु नियमुनुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही श्री रजन कुमार को निदेश दिया जाता है कि यदि परमिट की ऑनलाईन प्रविष्टि हो जाती है, तो वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने के

बैठक-28.08.2024 04.09.24

						बेगूसराय मुख्य बिन्दु है। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार दोनों वाहन के समय–सारणी में दस मिनट का अन्तराल होना चाहिए। आवेदनकर्त्ता एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से भागलपुर रे0 स्टेशन है। प्रथम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग भागलपुर रे0स्टेशन है तथा तृतीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग अगुवानी घाट से बेगूसराय है।	पहले परमिट पर अन्य उच्च मॉडल के नये वाहन का प्रतिस्थापन करा लेंगे अन्यथा उनकी आपत्ति निरस्त कर दी जाएगी। तब तक के लिए श्री नित्यानंद सिंह के इस आवेदन को लम्बित रखा जाता है।
14	7	श्रीमती कुमकुम देवी पति–श्री अजीत कुमार पता–पहसारा बभनगामा, नॉवकोठी, जिला–बेगुसराय।	BR09PA-8537 BUS (2023) 41 Seat मानदंड–BSVI	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग सख्या–3001 शहरबन्नी से बेगुसराय भाया–ज्वालापुर चौक, हरिपुर, आशापोखर, बखरी एवं मंझौल। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–18.09.24 फिटनेश–19.09.25 बीमा–26.12.24 प्रदूषण–अप्राप्त	1. आपत्तिकर्त्ता श्री नीरज कुमार सिंह वाहन सं0–BR43P-1809 का कहना है कि मेरे वाहन का निम्न टकराव है:– आवेदक आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्र0 19:13 19:11 मंझौल आग0 19:45 19:45 मंझौल प्र0 19:50 19:50 बेगूसराय मुख्य बिन्दु पर दोनों वाहन के समय–सारणी में 02 (दो) मिनट तथा मंझौल मध्य बिन्दु पर Same समय–सारणी है। आपत्तिकर्त्ता परमिट आवेदन ऑन लाईन आवेदनकर्त्ता से पूर्व किया गया है। 2. आपत्तिकर्त्ता श्री दिलीप कुमार वाहन सं0–BR06PC-5310 का कहना है कि मेरे वाहन का निम्न टकराव है :– आवेदक आपत्तिकर्त्ता आशापोखर आ0 06:22 06:20 प्रस्थान 06:27 06:25 बखरी आगमन 06:35 06:35 प्रस्थान 06:46 06:45 मंझौल आगमन 07:20 07:17 प्रस्थान 07:25 07:23 आशापोखर आ0 11:30 11:25 प्रस्थान 11:32 11:30 बखरी आगमन 11:40 11:40 प्रस्थान 11:46 11:45 बेगूसराय प्र0 13:48 13:50 आवेदनकर्त्ता तथा आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी में मध्य बिन्दु पर 02 (दो) मिनट, 03 (तीन) मिनट तथा मुख्य बिन्दु पर दो मिनट अन्तराल है। आवेदनकर्त्ता का मार्ग शहरबन्नी से बेगूसराय है। प्रथम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से बखरी है तथा द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग अलौली से बेगूसराय है।	प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री नीरज कुमार सिंह वाहन सं0–BR43P-1809 का परमिट आवेदन इस बैठक में क्रम सं0–19 आवेदन क्रमांक 12 पर उपस्थापित है। आवेदन समर्पित करने के क्रम मे आवेदनकर्त्ता वरीय है। अतएव यह आपत्ति मान्य योग्य नही है। द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री दिलीप कुमार वाहन सं0–BR06PC-5310 के समय–सारणी से मध्य बिन्दु आशापोखर में 06:27 एवं 11:32 पर, मध्य बिन्दु बखरी में 06:46 एवं 11:46 पर, मध्य बिन्दु मंझौल में 07:25 पर तथा प्रारंभ बिन्दु बेगूसराय में 13:48 पर टकराव है। अतएव द्वितीय आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी से उपरोक्त टकराव के बिन्दुओं पर अगली बैठक में संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है। पुनः उक्त बिन्दुओं पर टकराव होने अथवा अगली बैठक में संशोधित समय–सारणी समर्पित नही करने की स्थिति में आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

बैठक – 28.08.2024   04.09.24   4.9.24

Scanned with CamScanner

15	8	श्री राज कुमार पिता– श्री बब्लू कुमार सिंह पता–शाहपुर, जिला–बेगुसराय।	BR09P-8511 BUS (2014) 43 seat मानदंड BS V	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग सख्या–3225 भागलपुर रे०स्टे० से बेगुसराय भाया–भागलपुर जीरोमाईल, नौगछिया जीरोमाईल, थाना बिहपुर, नारायणपुर, पसराहा, महेशखूँट, मानसी, खगड़िया, बलिया ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–03.10.24 फिटनेश–25.07.25 बीमा–12.06.25 प्रदूषण–16.11.24	आपत्तिकर्त्ता श्री नित्यानद सिंह वाहन सं०–BR06PF-1249 का कहना है कि वाहन संख्या– BR09PA-8511 का आवेदन भागलपुर रे० स्टेशन से बेगूसराय मार्ग पर किया गया है। आवेदित वाहन स० का आवेदन सं० 08 पर अंकित है। आपत्तिकर्त्ता वाहन स० का आवेदन सं० 06 पर अंकित है। वाहन संख्या–BR09PA-8511 के आवेदित आवेदन पर प्राधिकार के निर्णय प्रारंभ बिन्दु 10 मिनट एव मध्य बिन्दु पर 05 मिनट का उल्लघन है जो निम्न है :– आपत्तिकर्त्ता आवेदक बेगूसराय प्र0 10:15 10:20 बलिया आग0 10:50 10:50 प्रस्थान 10:55 11:00 खगड़िया आग0 11:30 11:35 प्रस्थान 11:45 12:01 साथ ही साथ खगड़िया मे (11:35–12:01) अर्थात 26 मिनट का ठहराव दिया गया है जो जनहित एवं यात्री हित में नहीं है। अतः अनुरोध है कि वाहन सं०– BR09PA-8511 के आवेदन पर विधिवत् विजन की जाए क्योंकि टकराव एवं अत्यधिक ठहराव का मामला है। आवेदनकर्त्ता का मार्ग भागलपुर रे० स्टेशन से बेगूसराय है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से भागलपुर रे० स्टेशन है।	आपतिकर्त्ता श्री नित्यानद सिंह वाहन सं0–BR06PF-1249 का परमिट आवेदन इस बैठक में क्रम सं0–13 आवेदन क्रमाक–06 पर उपस्थापित है, जिसे लम्बित रखा गया है। अतएव आपत्तिकर्त्ता के परमिट आवेदन पर निर्णय के उपरान्त श्री राज कुमार वाहन सं0– **BR09P-8511** के परमिट आवेदन पर विचार किया जाएगा।
16	9	श्री अंकज कुमार पिता–श्री पारसनाथ सिंह पता–शाहपुर, जिला–बेगुसराय।	BR09PA-6655 BUS (2021) 40 Seat मानदंड–BSVI	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग संख्या–3225DW बेगुसराय से भागलपुर रे०स्टे०। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–23.11.24 फिटनेश–10.09.25 बीमा–09.08.24 प्रदूषण–17.08.24	1. आपत्तिकर्त्ता श्रीमती सुनीता देवी वाहन सं0–BR09PA-9161 का कहना है कि वाहन संख्या– BR09PA-6655 का आवेदन बेगूसराय से भागलपुर रे0 स्टेशन के समय–सारणी का आवेदन क्रमांक 09 एवं आवेदित वाहन सं0–BR09PA-9161 का आवेदन क्रमाक सं0–04 पर है। वाहन सं0–BR09PA-9161 का कहना है कि वाहन संख्या–BR09PA-6655 बेगूसराय प्रस्थान 09:28 में करते हैं एवं महेशखूंट आगमन 11:25 एवं प्रस्थान 11:49 अर्थात ठहराव 24 मिनट करते हैं जबकि आपत्तिकर्त्ता वाहन सं0–BR09PA-9161 का बेगूसराय प्रस्थान 09:38 है एवं महेशखूंट आगमन 11:30 से प्रस्थान 11:38 है, जबकि आवेदनकर्त्ता वाहन सं0–BR09PA-6655 बेगूसराय से 10 पूर्व अर्थात 09:28 में प्रस्थान करते हैं, महेशखूंट में (11:25–11:49) 24 मिनट ठहराव करके 10 मिनट आगे खुलकर महेशखूंट में 11 मिनट पीछे हो जाते हैं, ये ओभरटेक का मामला है जो सही नहीं है। आवेदनकर्त्ता बेगूसराय प्रस्थान 09:28 एवं आपत्तिकर्त्ता बेगूसराय प्रस्थान 09:38 में 10 मिनट का अंतराल में बनाए रखा जाए एवं महेशखूंट में अत्यधिक ठहराव 24 मिनअ सही नही है। साथ ही साथ	प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्रीमती सुनीता देवी वाहन सं0–BR09PA-9161 का परमिट आवेदन इस बैठक में क्रम स0 11 आवेदन क्रमांक 04 पर उपस्थापित है, जिसपर आपत्ति अप्राप्त है। आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी से कोई टकराव नहीं है। अतएव यह आपत्ति मान्य नहीं है। द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री नित्यानंद सिंह वाहन सं0–BR06PF-1249 का परमिट आवेदन क्रम सं0 13 आवेदन क्रमांक 06 पर उपस्थापित है, जिसकी स्वीकृति का प्रस्ताव है। इसके समय–सारणी से मध्य बिन्दु महेशखूंट में 18:11 पर, मध्य बिन्दु मानसी में 18:31 पर एवं मध्य बिन्दु खगड़िया मे 18:52 पर टकराव है। द्वितीय आपत्तिकर्त्ता के समय–सारणी से उपरोक्त टकराव के

बैठक-28.08.2024 05.09.24 5.9.24

						भागलपुर जीरोमाईल (15:20–15:49) 29 मिनट का ठहराव है क्योकि गाड़ी मानसी से प्रस्थान की है। मानसी से महेशखूट की दूरी मात्र 11 किमी0 है। 11 किमी0 की दूरी तय करने के बाद महेशखूट में 24 मिनट का ठहराव उचित नही है, विधिवत् निर्णय ली जाय। 2. आपत्तिकर्त्ता श्री नित्यानंद सिंह वाहन सं0–BR06PF-1249 का कहना है कि वाहन संख्या– BR09PA-6655 का आवेदन क्रमांक सं0–09 पर एव आपत्तिकर्त्ता वाहन संख्या का आवेदन क्रमांक–06 पर है। आवेदित वाहन सं0–BR09PA-6655 का भागलपुर जीरोमाईल आगमन 15:20 प्रस्थान 15:49 ठहराव 29 मिनट जो जनहित यात्री हित एवं गलत नियत से 29 मिनट का ठहराव लिया गया है, गाडी मात्र 5 किमी0 भागलपुर रे0 स्टेशन से चलने के बाद 29 मिनट का ठहराव भागलपुर जीरोमाईल जनहित एवं यात्री हित में सही नही है। साथ ही साथ प्राधिकार के निर्णय मुताविक ठकराव भी है:– आपत्तिकर्त्ता आवेदक महेशखूंट आ0 18:05 17:52 प्रस्थान 18:15 18:11 मानसी आ0 18:30 18:27 प्रस्थान 18:35 18:31 खगड़िया आ0 18:45 18:43 प्रस्थान 18:55 18:52 साथ ही साथ यह कहना है कि आपतिकर्त्ता एवं आवेदनकर्त्ता के वाहन प्रस्थान भागलपुर रे0 स्टेशन पर खुलने 40 मिनट अर्थात प्रस्थान बिन्दु पर अंतराल है, तो इसी 42 मिनट अंतराल के साथ सम्पूर्ण मार्ग अर्थात भागलपुर रे0 स्टेशन से बेगूसराय के बीच परिचालन में 40 मिनट का अंतराल रखा जाय। आवेदनकर्त्ता, प्रथम एवं द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से भागलपुर रे0 स्टेशन है।	बिन्दुओ पर अगली बैठक मे संशोधित समय–सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है। पुनः उक्त बिन्दुओं पर टकराव होने अथवा अगली बैठक में संशोधित समय–सारणी समर्पित नहीं करने की स्थिति में आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
17	10	श्री नीरज कुमार सिंह पिता–नेपो सिंह पता–खम्भार, जिला–बेगूसराय।	BR06PC-9933 BUS (2015) 37 Seat मानदंड–BSIV	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग संख्या–3001 शहरबन्नी से बेगुसराय भाया–ज्वालापुर चौक, हरिपुर, आशापोखर, बखरी एवं मंझौल। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–23.05.25 फिटनेश–09.02.26 बीमा–09.07.25 प्रदूषण–27.08.24	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

बैठक - 28.08.2024   04.09.24   4.9.24

Scanned with CamScanner

18	11	श्री नीरज कुमार सिंह पिता–नेपो सिंह पता–खम्हार, जिला–बेगूसराय।	BR01PF-4872 BUS (2015) 41 seat मानदंड–BSIV	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग संख्या–3155 बेगूसराय से शकरपुरा, भाया–मंझौल, बखरी। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–05.05.25 फिटनेश–21.06.25 बीमा–16.08.24 प्रदूषण–20.06.25	आपत्तिकर्त्ता श्री अजीत कुमार वाहन सं0–BR09H-1573 का कहना है कि वाहन सं0– BR01PF-4872 का आवेदन बेगूसराय से शकरपुरा मार्ग पर किया गया है। आवेदित समय–सारणी पर वाहन सं0–BR09H-1573 के परिचालित समय–सारणी से टकराव है, जो निम्न है :– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता बखरी आग0 06:25 06:25 प्रस्थान 06:30 06:30 अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्राधिकार के निर्णय के मुताविक कार्रवाई करने की कृपा की जाय। आवेदनकर्त्ता बेगूसराय से शकरपुरा है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से शहरबन्नी है।	आपत्तिकर्त्ता श्री अजीत कुमार का वाहन सं0–BR09H-1573 बखरी के बाद सीधे आशापोखर, हरिपुर, ज्वालापुर चौक होते हुए शहरबन्नी चली जाती है। यह वाहन शकरपुरा नहीं रूकती है, जबकि आवेदनकर्त्ता श्री नीरज कुमार सिंह का वाहन सं0– BR01PF-4872 बखरी के बाद शकरपुरा तक ही जाती है। अतएव आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
19	12	श्री नीरज कुमार सिंह पिता– श्री नेपो सिंह पता–खम्हार, जिला–बेगूसराय।	BR43P-1809 BUS(2013) 33 Seat मानदंड–BSIII	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग संख्या–3181 बेगूसराय से बखरी।, भाया–मंझौल। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–19.03.25 फिटनेश–27.12.24 बीमा–03.12.24 प्रदूषण–08.12.24	आपत्तिकर्त्ता श्रीमती कुमकुम देवी वाहन सं0–BR09PA-8537 का कहना है कि वाहन सं0– BR43P-1809 का आवेदन बेगूसराय से बखरी पर मार्ग पर किया गया है। आवेदनकर्त्ता का आवेदन क्रमांक–12 पर तथा आपत्तिकर्त्ता का आवेदन क्रमांक–07 पर अंकित है। आवेदित समय–सारणी पर वाहन सं0–BR09PA-8537 के समय–सारणी से निम्न टकराव है :– आपत्तिकर्त्ता आवेदनकर्त्ता बेगूसराय प्र0 19:13 19:11 मंझौल आ0 19.:45 19:45 मंझौल प्र0 19.:50 19:50 प्रांरभ बिन्दु बेगूसराय पर प्राधिकार के निर्णय मुताविक 10 मिनट एवं मध्य बिन्दु पर 05 मिनट आदेश का उल्लंघन है। आवेदनकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से बखरी तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग शहरबन्नी से बेगूसराय है।	आपत्तिकर्त्ता श्रीमती कुमकुम देवी वाहन सं0–BR09PA-8537 का परमिट आवेदन इस बैठक में क्रम सं0–14 आवेदन क्रमांक–07 पर उपस्थापित है, जिसपर श्री दिलीप कुमार वाहन सं0–BR06PC-5310 के समय सारणी से टकराव के बिन्दुओं पर संशोधित समय सारणी अगली बैठक में समर्पित करने के उपरांत विचार करने का निर्णय लिया गया है। अतएव आपत्तिकर्त्ता श्रीमती कुमकुम देवी वाहन सं0–BR09PA-8537 पर निर्णय के उपरांत श्री नीरज कुमार सिंह वाहन सं0–BR43P-1809 के परमिट आवेदन पर विचार किया जाएगा।
20	13	श्री नीरज कुमार सिंह पिता– श्री नेपो सिंह पता–खम्हार, जिला–बेगूसराय।	BR7P-4113 BUS (2011) 25 Seat मानदंड BSIV	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग संख्या–3001 शहरबन्नी से बेगुसराय भाया–ज्वालापुर चौक, हरिपुर, आशा पोखर, बखरी एवं मंझौल। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–30.04.25 फिटनेश–27.07.25 बीमा–12.02.25 प्रदूषण–23.11.24	अप्राप्त	वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के नये वाहन से करने के शर्त्त पर परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
21	14	श्री राम निरंजन सिंह पिता– राम सागर सिंह पता–खैराई हसनपुर, महिसोना, जिला–लखीसराय।	BR53P-5165 BUS (2018) 42 Seat मानदंड BSIV	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग संख्या–3229 लखीसराय से सिकन्दरा भाया–रामगढ एवं हलसी। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–18.11.24 फिटनेश–15.07.26 बीमा–22.11.24 प्रदूषण–04.08.25	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

बैठक – 28.08.2024 04.09.24 4.9.24

Scanned with CamScanner

22	15	श्री चचल कुमार पिता–श्री सुधीर सिह, पता–हसनपुर, महिसोना, जिला–लखीसराय ।	BR06PA-8894 BUS (2011) 41 Seat मानदङ–BSIII	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग सख्या–3229 लखीसराय से सिकन्दरा भाया–रामगढ एवं हलसी। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–06.09.24 फिटनेश–04.01.25 बीमा–02.08.25 प्रदूषण–14.09.24	अप्राप्त	वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के नये वाहन से करने के शर्त पर परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
23	16	श्री राम निरजन सिह पिता– राम सागर सिह पता–खैराई हसनपुर, महिसोना, जिला–लखीसराय ।	BR53A-8011 BUS (2013) 33 Seat मानदड BS-III	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग सख्या–3229 लखीसराय से सिकन्दरा भाया–रामगढ एवं हलसी। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–19.09.24 फिटनेश–13.03.25 बीमा–06.07.25 प्रदूषण–29.07.25	अप्राप्त	वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के नये वाहन से करने के शर्त पर परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
24	17	श्री रंजन कुमार राय पिता– ब्रम्हदेव प्रसाद राय पता– स्टेशन रोड, जिला–शेखपुरा।	BR52P-0323 BUS (2016) 42 Seat मानदङ–BSIV	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग संख्या–144 शेखपुरा से लखीसराय। भाया–गिरिहिण्डा। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–27.11.24 फिटनेश–28.12.25 बीमा–03.08.25 प्रदूषण–23.11.24	आपत्तिकर्त्ता श्री दिलीप कुमार वाहन सं0–BR53B-0021 का कहना है कि वाहन सं0– BR52P-0323 का आवेदित समय–सारणी के 5 से 6 मिनट आगे शेखपुरा में और गिरिहण्डा में 3 मिनट पीछे है, जबकि प्राधिकार का नियमानुसार मुख्य बिन्दु पर 10 मिनट का अंतराल होना चाहिए तथा आवेदक रंजन कुमार राय अपने वाहन का मार्ग सं0–144 बिहारीगंज से अमरपुर, भाया–डीबरा, बडहारा, धमदाहा, भवानीपुर, रूपौली, कुर्सेला, नवगछिया एवं भागलपुर है और यह समय–सारणी शेखपुरा से लखीसराय, भाया–गिरिहण्डा किये हैं जो अवैध है और समय–सारणी टकराव निम्न प्रकार है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता शेखपुरा प्र0 12:53 12:59 गिरिहण्डा प्र0 13.:23 13:20 आवेदनकर्त्ता एवं आपत्तिकर्त्ता का मार्ग शेखपुरा से लखीसराय है।	आपत्तिकर्ता श्री दिलीप कुमार वाहन सं0–**BR53B-0021** का परमिट आवेदन इस बैठक में क्रम सं0–30 आवेदन क्रमांक– 23 पर उपस्थापित है। आवेदनकर्ता आवेदन समर्पित करने के क्रम में आपत्तिकर्ता से वरीय हैं। अतएव समय–सारणी पर इनकी आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। आपत्तिकर्ता द्वारा यह भी आपत्ति की गई है कि मार्ग सं0–144, बिहारीगंज से अमरपुर, भाया–डीबरा, बड़हारा, धमदाहा, भवानीपुर, रूपौली, कुर्सेला, नवगछिया एवं भागलपुर है। आवेदनकर्ता द्वारा त्रुटिपूर्ण मार्ग पर आवेदन समर्पित किया गया है। इस संबंध में मार्ग सं0–144 की ऑनलाईन जॉच करने का निर्णय लिया गया। जॉचोपरान्त पाया गया कि मार्ग सं0–144 ऑनलाईन में शेखपुरा से लखीसराय भाया – गिरिहिण्डा अंकित है। अतएव परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
25	18	श्रीमती मिनाक्षी देवी पिता– स्व0 रामचरित्र सिंह पता–नयागॉव, चितरौर, जिला–बेगूसराय।	BR19C-9095 BUS (2011) 41 Seat मानदङ–BS-III	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग सख्या–3045 खगड़िया से आलमनगर। भाया–महेशखूँट, सोनवर्षा घाट, बेल्दौर ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–13.08.24 फिटनेश–03.03.25 बीमा–23.04.25 प्रदूषण–21.12.24	1. प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री सर्वेश्वर कुमार चौधरी के वाहन सं0–BR34P-9318 का कहना है कि वाहन सं0–BR19C-9095 का आवेदित समय–सारणी में टकराव निम्न प्रकार है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता खगड़िया 12:45 12:40 आवेदनकर्त्ता श्रीमती मिनाक्षी देवी BR19C-9095 द्वारा मेरी वाहन के	प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री सर्वेश्वर कुमार चौधरी वाहन स0–**BR34P-9318** के समय सारणी से प्रारंभ बिन्दु खगड़िया में 12:45 पर टकराव है। द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री शैलेस कुमार वाहन सं0–**BR25PA-0653** के समय सारणी से प्रारंभ

बैठक – 28.08.2024 04.09.24 4.9.24

Scanned with CamScanner

					निर्गत समय–सारणी से मात्र 5 मिनट का अंतराल है जो प्राधिकार के निर्णयानुसार मुख्य बिन्दु पर 10 मिनट का अंतराल होना चाहिए जो आवेदिका द्वारा ऋुटिपूर्ण आवेदन किया गया है तथा प्राधिकार के नियम का उल्लंघन है। 2. द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री शैलेस कुमार के वाहन स0–BR25PA-0653 का कहना है कि वाहन स0– BR19C-9095 का आवेदित समय–सारणी में टकराव निम्न प्रकार है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता खगड़िया 04:49 05:02 बेलदौर 07:10 07:08 आवेदनकर्त्ता श्रीमती मिनाक्षी देवी BR19C-9095 द्वारा मुख्य बिन्दु पर 3 मिनट आगे एवं मध्य बिन्दु पर मात्र 2 मिनट का अंतराल है। जबकि प्राधिकार द्वारा मुख्य बिन्दु पर 10 मिनट का एवं मध्य बिन्दु पर 5 मिनट का अंतराल होना चाहिए जो प्राधिकार के नियम का विरूद्ध है एवं आवेदन ऋुटिपूर्ण है। 3. तृतीय आपत्तिकर्त्ता श्री धर्मवीर सहनी के वाहन सं0–BR19F-7949 का कहना है कि वाहन सं0– BR19C-9095 का आवेदित समय–सारणी में टकराव निम्न प्रकार है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता खगड़िया 12:45 12:38 आवेदनकर्त्ता श्रीमती मिनाक्षी देवी BR19C-9095 द्वारा मुख्य बिन्दु पर 7 मिनट का अंतराल है जो टकरावपूर्ण है जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है तथा दूसरी पाली मे आलमनगर से 08:52 में प्रस्थान कर बेलदौर 09:40 में आगमन कर 09:54 मे बेलदौर से प्रस्थान कर जाती है। इसी आलमनगर से बेलदौर 48 मिनट में पहुँचती और आवेदक मात्र 36 मिनट बताया है। वही बेलदौर में 14 मिनट रूकती है और आवेदक 15 मिनट बताया है। इस प्रकार से आवेदक का आवेदन त्रुटिपूर्ण है। 4. चतुर्थ आपत्तिकर्त्ता श्री धर्मवीर सहनी के वाहन स0–BR19F-5949 का कहना है कि वाहन सं0– BR19C-9095 का आवेदित समय–सारणी में टकराव निम्न प्रकार है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता आलमनगर 08:52 08:44 आवेदनकर्त्ता श्रीमती मिनाक्षी देवी BR19C-9095 द्वारा मुख्य बिन्दु पर 8 मिनट का अंतराल है जो टकरावपूर्ण है जो प्राधिकार के आदेशानुसार मुख्य बिन्दु पर आगे एवं पीछे 10 मिनट का अंतराल होना चाहिए। वहीं दूसरी पाली मे आलमनगर से 08:52 में प्रस्थान कर बेलदौर 09:40 मे आगमन कर 09:54 मे बेलदौर से प्रस्थान कर जाती है। इसी आलमनगर से बेलदौर	बिन्दु खगड़िया में 04:59 पर टकराव है। मध्य बिन्दु बेलदौर मे आपत्तिकर्ता का प्रस्थान समय 07:18 है एवं आवेदनकर्ता का प्रस्थान समय 07:25 है। इस बिन्दु पर कोई टकराव नही है। तृतीय आपत्तिकर्त्ता श्री धर्मवीर सहनी वाहन सं0–BR19F-7949 के समय सारणी से प्रारंभ बिन्दु खगड़िया मे 12:45 पर टकराव है। चतुर्थ आपत्तिकर्त्ता श्री धर्मवीर सहनी वाहन सं0–BR19F-5949 के समय सारणी से प्रारंभ बिन्दु आलमनगर मे 08:52 पर टकराव है। पंचम आपत्तिकर्त्ता श्री धर्मवीर सहनी वाहन सं0–BR34P-6728 का परमिट आवेदन क्रम सं0–28 आवेदन क्रम सं0–21 पर उपस्थापित है। आपत्तिकर्ता आवेदन करने के क्रम में आवेदनकर्ता से कनीय है। अतएव यह आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। छठे आपत्तिकर्त्ता श्री धर्मवीर सहनी वाहन सं0–BR34P-1673 के समय सारणी से प्रारंभ बिन्दु आलमनगर में 08:52 पर टकराव है। सप्तम आपत्तिकर्त्ता श्री शैलेस कुमार के वाहन सं0–BR09PA-8718 के समय सारणी से प्रारंभ बिन्दु खगड़िया मे 12:45, मध्य बिन्दु महेशखुंट मे 13:35, एवं मध्य बिन्दु सोनवर्षा में 14:15 पर टकराव है। आवेदनकर्त्ता द्वारा बताया गया कि श्री धर्मवीर सहनी के अन्य वाहन सं0–BR34-7525 पर टैक्स बकाया है एवं अन्य मान्य कागजात यथा–फिटनेस, बीमा एवं प्रदूषण की वैधता समाप्त हो चुकी है। इस संबंध मे श्री धर्मवीर सहनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उक्त वाहन का कोई कर बकाया नही है तथा वाहन लगभग 25 वर्ष

बैठक - 28.08.2024 04.09.24 1.9.24

Scanned with CamScanner

48 मिनट मे पहुँचती और आवेदक मात्र 36 मिनट बताया है। वही बेलदौर में 14 मिनट रूकती है और आवेदक 15 मिनट बताया है। इस प्रकार से आवेदक का आवेदन त्रुटिपूर्ण है।

5. पंचम आपत्तिकर्त्ता श्री धर्मवीर सहनी के वाहन सं0–BR34P-6728 का कहना है कि वाहन सं0– BR19C-9095 का आवेदित समय–सारणी मे टकराव निम्न प्रकार है :–

	आवेदनकर्त्ता	आपत्तिकर्त्ता
खगड़िया प्र0	04:49	05:00
महेशखूंट प्र0	5:58	05:58
सोनवर्षाघाट प्र0	06:40	06:40
बेलदौर प्रस्थान	07:25	07:25
बेलदौर प्रस्थान	09:54	09:55
सोनवर्षाघाट प्र0	10:40	10:40
महेशखूंट प्र0	11:20	11:20
खगडिया प्र0	12:45	12:45
महेशखूंट प्र0	13:35	13:35
सोनवर्षाघाट प्र0	14:15	14:15
बेलदौर प्र0	15:10	15:10
आलमनगर प्र0	16:00	16:00
बेलदौर प्र0	16:55	16:55
सोनवर्षाघाट प्र0	17:45	17:45
महेशखूंट प्र0	18:25	18:25

आवेदनकर्त्ता श्रीमती मिनाक्षी देवी BR19C-9095 द्वारा मेरे पूर्व के आवेदन को देखकर नकल करते हुए वर्त्तमान समय–सारणी मे निम्न टकराव है तथा मेरे द्वारा पूर्व एवं वर्त्तमान का समय–सारणी एक समान है।

6. छठा आपत्तिकर्त्ता श्री धर्मवीर सहनी के वाहन सं0–BR34P-1673 का कहना है कि वाहन सं0– BR19C-9095 का आवेदित समय–सारणी में टकराव निम्न प्रकार है :–

	आवेदनकर्त्ता	आपत्तिकर्त्ता
आलमनगर	08:52	08:59

आवेदनकर्त्ता श्रीमती मिनाक्षी देवी BR19C-9095 द्वारा मुख्य बिन्दु पर 7 मिनट का अंतराल है, जो टकरावपूर्ण हैं, जबकि प्राधिकार द्वारा मुख्य बिन्दु पर 10 मिनट का एव मध्य बिन्दु पर 5 मिनट का अतराल होना चाहिए जो प्राधिकार के नियम का विरूद्ध है।

7. सप्तम आपत्तिकर्त्ता श्री शैलेस कुमार के वाहन सं0–BR09PA-8718 का कहना है कि वाहन सं0– BR19C-9095 का आवेदित समय–सारणी मे टकराव निम्न प्रकार है :–

	आवेदनकर्त्ता	आपत्तिकर्त्ता
खगडिया	12:45	12:53
महेशखूंट आ0	13:20	13:23
प्रस्थान	13:35	13:38
सोनवर्षाघाट आ0	14:05	14:08
प्रस्थान	14:15	14:13

आवेदनकर्त्ता श्रीमती मिनाक्षी देवी BR19C-9095 द्वारा मेरी वाहन के निर्गत समय–सारणी से खगडिया मुख्य बिन्दु पर 8 मिनट आगे,

पुरानी है एव जीर्ण–शीर्ण है। यह वाहन परिचालन की स्थिति में नही है। उन्हे यह निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर कर प्रमादी नही होने का प्रमाण–पत्र समर्पित करेगे अन्यथा आपत्ति खारिज कर दी जाएगी। श्री धर्मवीर सहनी द्वारा बैठक समाप्त होने के तुरंत बाद टैक्स का रसीद कार्यालय मे जमा कर दिया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि वाहन पर कोई कर बकाया नही है। फिटनेस, बीमा एवं प्रदूषण के संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी, खगडिया द्वारा उनके पत्रांक–811, , दिनांक–24.08.2024 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि वाहन सं0–BR34-7525 लगभग चार वर्षो से अपरिचालित है एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था मे है तथा वाहन लगभग 25 वर्ष पुरानी है।

अतएव उपरोक्त टकराव के बिन्दुओं पर आवेदनकर्ता को अगली बैठक मे संशोधित समय सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है। पुनः उक्त बिन्दुओं पर टकराव होने अथवा अगली बैठक मे संशोधित समय–सारणी समर्पित नहीं करने की स्थिति में आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

बैठक - 28.08.2024 04.09.24 4.9.24

Scanned with CamScanner

						महेशखूट मध्य बिन्दु पर 3 मिनट का अतराल है, वही सोनवर्षाघाट मध्य बिन्दु पर मात्र 2 मिनट का अतराल है, जबकि प्राधिकार द्वारा मुख्य बिन्दु पर 10 मिनट का एव मध्य बिन्दु पर 5 मिनट का अतराल होना चाहिए जो प्राधिकार के नियम का विरूद्ध एव आवेदन त्रुटिपूर्ण है। आवेदनकर्त्ता तथा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पचम एव षष्ठम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग खगडिया से आलमनगर है और प्रथम एव सप्तम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग आलमनगर से खगडिया है।	
26	19	श्री ललन सिह, पिता– राम देव सिह पता–परसवान, पडारक, बाढ़, जिला–पटना।	BR01PD-8395 BUS (2012) 41 Seat मानदड–BSI V	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग सख्या–3269 सिकन्दा से शेखपुरा। भाया– चेवाड़ा, गिरीहिण्डा। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–25.10.24 फिटनेश–29.07.25 बीमा–19.07.25 प्रदूषण–17.11.24	अप्राप्त	वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के नये वाहन से करने के शर्त पर परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
27	20	श्री विक्रम कुमार, पिता–बिजय सिह पता–मटासी, हलसी, जिला–लखीसराय।	BR52P-7195 BUS (2023) 45 Seat मानदड–BS VI	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग सख्या–3269DW शेखपुरा से सिकन्दा। भाया– गिरीहिण्डा एव चेवाड़ा। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–26.10.24 फिटनेश–08.02.25 बीमा–19.01.25 प्रदूषण–05.08.25	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
28	21	श्री धर्मवीर सहनी, पिता–सुधीर सहनी पता– बलुआही कोशी कॉलेज, बस स्टैण्ड, जिला–खगडिया।	BR34P-6728 BUS (2024) 41 seat मानदड BS-VI	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग सख्या–3045 खगड़िया से आलमनगर। भाया–महेशखूँट, सोनवर्षा घाट, उसराहा एव बेल्दौर। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–18.09.24 फिटनेश–19.03.26 बीमा–18.03.25 प्रदूषण–नयी वाहन	आपत्तिकर्त्ता श्रीमती मिनाक्षी देवी BR19C-9095 का कहना है कि मार्ग खगडिया से आलमनगर पर आवेदिका हूँ। प्राधिकार की बैठक दिनाक 26.07.2024 मे धर्मवीर सहनी द्वारा इसी वाहन पर मार्ग खगडिया से आलमनगर के लिए दाखिल आवेदन को प्राधिकार द्वारा रद्द कर दिया गया है। धर्मवीर सहनी पर उक्त वाहन BR34-7525 पर सभी कागज फेल रहने के कारण अस्वीकृत किया गया था। समय–सारणी मे भी सभी बिन्दु पर टकरावपूर्ण है। आवेदनकर्त्ता एव आपत्तिकर्त्ता का मार्ग खगडिया से आलमनगर है।	आपत्तिकर्त्ता श्रीमती मिनाक्षी देवी BR19C-9095 का परमिट आवेदन इस बैठक मे क्रम स0–25 आवेदन क्रमांक 18 पर उपस्थापित है, जिसपर टकराव के बिन्दुओं पर अगली बैठक मे सशोधित समय सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया गया है। आपत्तिकर्ता द्वारा श्री धर्मवीर सहनी के वाहन सख्या– BR34P-6728 के आवेदित समय सारणी पर कोई आपत्ति नहीं की गई है। दिनांक–26.07.2024 की बैठक में आवेदनकर्ता के इसी वाहन का परमिट आवेदन उनके अन्य वाहन सख्या BR34-7525 के मान्य कागजात की वैधता समाप्त होने के कारण अस्वीकृत किया गया था। आवेदनकर्ता द्वारा इस बैठक मे नये शुल्क के साथ नया आवेदन समर्पित किया गया है। श्री धर्मवीर सहनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उक्त वाहन का

बैठक - 28.08.2024 04.09.24 4.9.24

Scanned with CamScanner

							कोई कर बकाया नही है तथा वाहन लगभग 25 वर्ष पुरानी है एव जीर्ण–शीर्ण है। यह वाहन परिचालन की स्थिति मे नही है। उन्हे यह निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर कर प्रमादी नही होने का प्रमाण–पत्र समर्पित किया जाय अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। श्री धर्मवीर सहनी द्वारा बैठक समाप्त होने के तुरत बाद टैक्स का रसीद कार्यालय मे जमा कर दिया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि वाहन पर कोई कर बकाया नही है। फिटनेस, बीमा एव प्रदूषण के सबध मे जिला परिवहन पदाधिकारी, खगडिया द्वारा उनके पत्राक–811, , दिनाक–24.08.2024 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि वाहन स0–BR34-7525 लगभग चार वर्षो से अपरिचालित है एव जीर्ण–शीर्ण अवस्था मे है तथा वाहन लगभग 25 वर्ष पुरानी है। चूँकि आपतिकर्त्ता द्वारा समय–सारणी पर कोई आपति नही की गई है। अतएव कर प्रमादी नहीं होने एवं जिला परि0 पदा0, खगडिया द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक मे परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
29	22	श्री सुमित कुमार, पिता–मंटू कुमार सिंह पता– मिल्की गंगटामोड़, जिला–मुंगेर।	BR10PB-9317 BUS (2023) 45 Seat मानदड BS-VI	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग सख्या–3219 चकाई से मुगेर। भाया–सोनो, जमुई, मल्लेपुर, खडगपुर। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–14.09.24 फिटनेश–22.09.25 बीमा–14.09.24 प्रदूषण–22.09.24	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
30	23	श्री दिलीप कुमार पिता–फुलेना सिह पता–नडियामा, जिला–लखीसराय।	BR53B-0021 BUS (2012) 41 Seat मानदड BSIII	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग सख्या–3089 शेखपुरा से लखीसराय। भाया–गिरिहिण्डा। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–16.08.24 फिटनेश–25.07.25 बीमा–22.07.25 प्रदूषण–12.12.24	आपत्तिकर्त्ता रजन कुमार राय BR52P-0323 का कहना है कि आवेदनकर्त्ता का वाहन शेखपुरा से आपत्तिकर्त्ता के वाहन के समय–सारणी से पीछे प्रस्थान कर गिरिहण्डा मे आवेदनकर्त्ता का वाहन आपत्तिकर्त्ता के वाहन के समय–सारणी से आगे हो जाती है तथा समय–सारणी टकराव निम्न प्रकार है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता शेखपुरा प्र0 12:59 12:53	आपत्तिकर्त्ता श्री रजन कुमार राय वाहन संख्या–BR52P-0323 का परमिट आवेदन इस बैठक मे क्रम स0–24 आवेदन क्रमाक–17 पर उपस्थापित है, जिसे त्रुटिपूर्ण मार्ग होने के कारण ऑनलाईन मार्ग की जॉच करने का निदेश दिया गया था। जॉचोपरान्त पाया गया कि मार्ग स0–144,

बैठक-28.08.2024 04.09.24 4.9.24

						गिरिहण्डा आ0 13 04 12 57 गिरिहण्डा प्र0 13 20 13 23 आवेदनकर्त्ता एव आपत्तिकर्त्ता का मार्ग शेखपुरा से लखीसराय है।	शेखपुरा से लखीसराय भाया–गिरिहिण्डा अधिसूचित है, जिस कारण श्री रंजन कुमार राय वाहन सं0–BR52P-0323 का परमिट आवेदन स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। आवेदनकर्त्ता श्री दिलीप कुमार वाहन संख्या–BR53B-0021 का परमिट आवेदन मार्ग सं0–3089 शेखपुरा से लखीसराय, भाया–गिरिहिण्डा चौक ऑनलाईन मे अधिसूचित है। अतएव गिरिहिण्डा एव गिरिहिण्डा चौक एक स्थान है या अलग तथा इसका बस पड़ाव एक है अथवा अलग इसके सबंध मे जिला परि0 पदाधिकारी, शेखपुरा से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त विचार किया जाएगा।
31	24	श्री सुधीर कुमार, पिता–इन्द्रदेव सिंह, पता–पुरानीशहरबरबिघा, जिला–शेखपुरा।	BR27P-4174 BUS (2024) 41 Seat मानदड BSVI	प्रकाशन–12 08 24 अधिसूचित मार्ग सख्या–3158 कौआकोल से मुगेर। भाया–अलीगज, लखीसराय, सूर्यगाढा ट्रिप–01 (01 अप 0 डाउन)	टैक्स–07 11 24 फिटनेश–12 05 26 बीमा–24 04 25 प्रदूषण–नयी वाहन	आपत्तिकर्त्ता कृष्णनदन सिह BR53A-5417 का कहना है कि आवेदनकर्त्ता का समय–सारणी के सभी बिन्दु पर टकराव निम्न प्रकार है – आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता कौआकोल प्र0 04 23 04 25 अलीगज प्र0 05 54 05 56 लखीसराय आ0 07 18 07 20 लखीसराय प्र0 07 33 07 35 सूर्यगाढा आ0 08 17 08 20 सूर्यगाढा प्र0 08 30 08 32 मुगेर आगमन 9 32 09 35 मुगेर प्रस्थान 11 18 11 20 सूर्यगाढा आ0 12 20 12 23 सूर्यगाढा प्र0 12 33 12 35 लखीसराय आ 13 17 13 16 लखीसराय प्र0 13 17 13 16 आवेदनकर्त्ता एव आपत्तिकर्त्ता का मार्ग कौआकोल से मुगेर है।	आपत्तिकर्त्ता कृष्णनदन सिह वाहन सख्या–BR53A-5417 के समय सारणी से प्रारभ बिन्दु कौआकोल मे 04 23, मध्य बिन्दु अलिगज मे 05 54, मध्य बिन्दु लखीसराय मे 07 33 एव 13 23, मध्य बिन्दु सूर्यगढा मे 08 30 एव 12 33, प्रारभ बिन्दु मुगेर मे 11 18 पर टकराव है। अतएव उपरोक्त टकराव के बिन्दुओ पर आवेदनकर्त्ता को अगली बैठक मे सशोधित समय सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है। पुन उक्त बिन्दुओ पर टकराव होने अथवा अगली बैठक मे सशोधित समय–सारणी समर्पित नही करने की स्थिति मे आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
32	25	श्री प्रभाष कुमार सिह पिता–स्व0 लखन प्रसाद सिंह पता–हन्साडीह, जिला–जमुई।	BR46P-5421 BUS (2023) 45 Seat मानदड BSVI	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग संख्या–3219 चकाई से मुगेर। भाया– सोनो, जमुई, मलयपुर, खड़गपुर। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–13.09.24 फिटनेश–20.03.25 बीमा–02.03.25 प्रदूषण–27.12.24	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

बैठक - 28.08.2024 04.09.24

04.9.24

Scanned with CamScanner

33	26	श्रीमति रूबी देवी पति–श्री खगेश सिह पता–गगौर, ओलापुर, जिला–खगडिया।	BR34P-6727 BUS (2024) 45 Seat मानदड–BSVI	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग सख्या–3043 बखरी से खगडिया। भाया–बगरस, बेला, जलकौडा। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टेक्स–18.09.24 फिटनेश–18.03.26 बीमा–18.03.25 प्रदूषण–नई वाहन	1. आपत्तिकर्त्ता श्री सजीव कुमार झा वाहन स०–BR08P-1358 का कहना है कि मेरे वाहन का टकराव निम्न प्रकार है – आवेदक / आपत्तिकर्त्ता बखरी प्रस्थान 03:44 / 03:35 खगडिया प्र० 05:44 / 05:35 दोनो वाहन के समय सारणी मुख्य बिन्दु बखरी तथा खगडिया मे दोनो वाहनों के समय–सारणी मे 9 मिनट का अतराल है। प्राधिकार के निर्णय के अनुसार दोनों वाहनो के समय–सारणी में मुख्य बिन्दु पर 10 मिनट का अतराल होना चाहिए 2. आपत्तिकर्त्ता श्री पवन कुमार सिह वाहन स०–BR10P-6770 का कहना है कि मेरे वाहन का टकराव निम्न प्रकार है – आवेदक / आपत्तिकर्त्ता बखरी प्रस्थान 07:19 / 07:18 बेला प्रस्थान 08:08 / 08:05 खगडिया आ० 08:54 / 08:51 खगडिया प्र० 09:19 / 09:18 जलकौडा प्र० 09:52 / 09:50 बखरी आगमन 10:52 / 10:50 बखरी प्रस्थान 11:19 / 11:18 बेला आगमन 11:59 / 11:55 बेला प्रस्थान 12:04 / 12:00 जलकौडा प्र० 12:34 / 12:30 बखरी मुख्य बिन्दु पर दोनों वाहन के समय–सारणी मे मात्र एक मिनट, दो मिनट तथा खगडिया मुख्य बिन्दु पर एक मिनट, तीन मिनट तथा मध्य बिन्दु पर दो मिनट, एक मिनट का अन्तराल है। आवेदनकर्त्ता एव दोनो आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बखरी से खगडिया है।	प्रथम आपत्तिकर्त्ता श्री सजीव कुमार झा वाहन स०–BR08P-1358 के समय सारणी से प्रारंभ बिन्दु बखरी में 15:44 तथा प्रारंभ बिन्दु खगडिया मे 17:44 पर टकराव है। द्वितीय आपत्तिकर्त्ता श्री पवन कुमार सिह वाहन स०–BR10P-6770 के समय सारणी से प्रारंभ बिन्दु बखरी में 07:19 एव 11:19, मध्य बिन्दु बेला में 08:08 एव 12:04, प्रारंभ बिन्दु खगडिया मे 09:19, मध्य बिन्दु जलकौड मे 09:52 एव 12:34 पर टकराव है। अतएव उपरोक्त टकराव के बिन्दुओं पर आवेदनकर्ता को अगली बैठक में सशोधित समय सारणी समर्पित करने हेतु एक मौका दिया जाता है। पुन: उक्त बिन्दुओं पर टकराव होने अथवा अगली बैठक में सशोधित समय–सारणी समर्पित नहीं करने की स्थिति में आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
34	27	श्री सौरव झा, पिता–इन्द्र मोहन झा, पता–मथुरापुर, जिला–खगडिया।	BR34P-6473 BUS (2023) 45 Seat मानदड BS-VI	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग सख्या–3043 बखरी से खगडिया। भाया–बगरस, बेला, जलकौडा। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टेक्स–06.10.24 फिटनेश–10.07.25 बीमा–23.07.25 प्रदूषण–23.07.25	आवेदनकर्त्ता श्री सौरव झा द्वारा समय–सारणी से संबंधित आवेदन वापस ले लिया है।	आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन वापस ले लिया गया है। अतएव ऑनलाईन से आवेदन की प्रविष्टि हटाने की स्वीकृति दी गई।
35	28	श्री शम्भू शरण सिह पिता–स्व० लखन प्रसाद सिह पता–हन्साडीह, जिला–जमुई।	BR08P-4001 BUS (2010) 41 Seat मानदड BS-III	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग सख्या–3219 चकाई से मुगेर। भाया–सोनो, जमुई, मलयपुर स्टेशन, खड़गपुर। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टेक्स–31.10.24 फिटनेश–14.03.25 बीमा–27.07.25 प्रदूषण–03.01.25	अप्राप्त	वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के नये वाहन से करने के शर्त पर परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

बैठक-28.08.2024 04.09.24 4.9.24

Scanned with CamScanner

36	29	श्री राम शंकर कुमार पिता–रामधर सिंह पता–धरसैनी, बरबिघा, जिला–शेखपुरा।	BR21K-9504 BUS (2014) 43 Seat मानदंड BS-III	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग संख्या–3229DW सिकन्दरा से लखीसराय। भाया–हलसी एव रामगढ। ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–29.09.24 फिटनेश–06.03.25 बीमा–01.07.25 प्रदूषण–27.08.24	आपत्तिकर्त्ता मृत्युजय कुमार BR53C-1081 का कहना है कि स्थायी क्षेत्रीय सवारी गाडी परमिट लखीसराय से सिकन्दरा (मार्ग स0–3229 अप) मार्ग पर एक प्रस्तावित समय–सारणी के साथ विधिवत् आवेदन कार्यालय मे दाखिल किया हूँ जो विचाराधीन है। आवेदनकर्त्ता द्वारा सभी खेपो मे (अप और डाउन) मुख्य बिन्दु एव मध्य बिन्दु पर 2 मिनट के अतराल का प्रस्ताव दिया है, जो प्राधिकार के नीतिगत नियमो के विरूद्ध है :– आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता प्रथम खेप सिकन्दरा 08.03 08.06 लखीसराय 10.18 10.20 आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता द्वितीय खेप सिकन्दरा 12.39 12.41 लखीसराय 15.05 15.05 आवेदनकर्त्ता आपत्तिकर्त्ता तृतीय खेप सिकन्दरा 17.05 17.10 आपत्तिकर्त्ता मृत्युजय कुमार का कहना है कि श्री रामशकर कुमार के नाम से एक अन्य वाहन स0 BR21-1512 मॉडल 1990 जो जिला परिवहन कार्यालय, नालदा द्वारा निबधित है। आवेनकर्त्ता द्वारा दिनाक–27.05.2024 को जिला परिवहन कार्यालय, नालदा द्वारा एक अनापति पत्र जिला परिवहन कार्यालय, देवघर (झारखड) के नाम से निर्गत कराया गया है, परन्तु आवेदनकर्त्ता द्वारा ना तो जिला परिवहन कार्यालय, देवघर(झारखंड) में अनापति प्रमाण–पत्र समर्पित किया है और ना ही झारखंड सरकार को टैक्स भुगतान किया है। एम परिवहन के बेवसाईट पर स्पष्ट होता है कि वाहन का अनापति प्रमाण पत्र जिला परिवहन कार्यालय, नालदा से करा लिया। वस्तुत श्री रामशकर कुमार द्वारा उक्त वाहन को एक निजी स्क्रेप डीलर को स्क्रेप के मद मे बेच दिया। साथ ही साथ वाहन स0 BR21-1512 मॉडल 1990 जो विभागीय अधिसूचना 06.09.91 के अनुसार वो वाहन स्वामी द्वारा किसी वाहन के कर प्रमादी होने पर प्राधिकार नया परमिट के स्वीकृति नही दे सकता। आवेदनकर्त्ता का मार्ग सिकन्दरा से लखीसराय है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग लखीसराय से सिकन्दरा है।	आपत्तिकर्त्ता श्री मृत्युजय कुमार वाहन संख्या BR53C-1081 का परमिट आवेदन क्रम स0–40 आवेदन क्रम सं0–33 पर उपस्थापित है। आवेदनकर्त्ता आवेदन समर्पित करने के क्रम मे आपत्तिकर्त्ता से वरीय है। अतएव समय–सारणी पर आपत्ति मान्य नही है। वाहन स0–BR21-1512 आवेदनकर्त्ता श्री राम शंकर कुमार के नाम से निबधित है। इस वाहन की ऑनलाईन जॉच करने पर पाया गया कि इसकी आयु लगभग 34 वर्ष हो चुकी है तथा इसे देवघर के लिए NOC निर्गत किया जा चुका है। आवेदनकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बैठक मे मौखिक रूप से बताया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष से अधिक हो जाने के कारण देवघर मे इन्ट्री करने से मना कर दिया गया है। वाहन जीर्ण–शीर्ण हो चुका है एव परिचालित नही है। आपत्तिकर्त्ता के अन्य वाहन स0–WB39-8652 पर टैक्स, बीमा, प्रदूषण एव फिटनेस बकाया है। अतएव उपरोक्त आपत्ति को खारिज कर परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
37	30	श्री राम शंकर कुमार पिता–रामधर सिंह पता–धरसैनी, बरबिघा, जिला–शेखपुरा।	BR21E-4710 BUS (2010) 41 Seat मानदंड BS-III	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग संख्या–3229DW सिकन्दरा से लखीसराय। भाया–हलसी एवं रामगढ। ट्रिप–03 (03 अप 03 डा0)	टैक्स–26.10.24 फिटनेश–26.08.24 बीमा–11.11.24 प्रदूषण–21.07.25	आपत्तिकर्त्ता मृत्युजय कुमार BR53C-1081 का कहना है कि स्थायी क्षेत्रीय सवारी गाडी परमिट लखीसराय से सिकन्दरा (मार्ग स0–3229 अप) मार्ग पर एक प्रस्तावित समय–सारणी के साथ विधिवत् आवेदन कार्यालय मे दाखिल किया हूँ जो विचाराधीन है। आपत्तिकर्त्ता मृत्युजय कुमार का कहना है कि श्री रामशकर कुमार के	आपत्तिकर्त्ता श्री मृत्युजय कुमार वाहन संख्या BR53C-1081 का परमिट आवेदन क्रम सं0–40 आवेदन क्रम सं0–33 पर उपस्थापित है। आवेदनकर्त्ता आवेदन समर्पित करने के क्रम मे आपत्तिकर्त्ता से वरीय है।

बैठक – 28.08.2024 04.09.24 4.9.24

Scanned with CamScanner

						नाम से एक अन्य वाहन सं0 BR21-1512 मॉडल 1990 जो जिला परिवहन कार्यालय, नालंदा द्वारा निबंधित है। आवेनकर्त्ता द्वारा दिनांक–27.06.2024 को जिला परिवहन कार्यालय, नालंदा द्वारा एक अनापति पत्र जिला परिवहन कार्यालय, देवघर (झारखंड) के नाम से निर्गत कराया गया है, परन्तु आवेदनकर्त्ता द्वारा ना तो जिला परिवहन कार्यालय, देवघर(झारखंड) मे अनापति प्रमाण–पत्र समर्पित किया है और ना ही झारखंड सरकार को टैक्स भुगतान किया है। एम परिवहन के बेवसाईट पर स्पष्ट होता है कि वाहन का अनापति प्रमाण पत्र जिला परिवहन कार्यालय, नालंदा से करा लिया। वस्तुत श्री रामशंकर कुमार द्वारा उक्त वाहन को एक निजी स्क्रेप डीलर को स्क्रेप के मद मे बेच दिया। साथ ही साथ वाहन सं0 BR21-1512 मॉडल 1990 जो विभागीय अधिसूचना 06.09.91 के अनुसार वो वाहन स्वामी द्वारा किसी वाहन के कर प्रमादी होने पर प्राधिकार नया परमिट के स्वीकृति नही दे सकता। आवेदनकर्त्ता का मार्ग सिकन्दरा से लखीसराय है तथा आपतिकर्त्ता का मार्ग लखीसराय से सिकन्दरा है।	अतएव समय–सारणी पर आपति मान्य नही है। वाहन सं0 BR21-1512 आवेदनकर्त्ता श्री रामशंकर कुमार के नाम से निबंधित है। इस वाहन की ऑनलाईन जॉच करने पर पाया गया कि इसकी आयु लगभग 34 वर्ष हो चुकी है तथा इसे देवघर के लिए NOC निर्गत किया जा चुका है। आवेदनकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बैठक मे मौखिक रूप से बताया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष से अधिक हो जाने के कारण देवघर मे इन्ट्री करने से मना कर दिया गया है। वाहन जीर्ण–शीर्ण हो चुका है एवं परिचालित नही है। आपतिकर्त्ता के अन्य वाहन सं0 WB39-8682 पर टैक्स, बीमा, प्रदूषण एवं फिटनेस बकाया है। अतएव उपरोक्त आपति को खारिज कर परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
38	31	श्री दीपक कुमार पिता–भोनू सिंह, पता–माहरथ, काशीचक, जिला–नवादा।	BR21H-8575 BUS (2012) 41 Seat मानदंड BS-IV	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग संख्या–1524 बरबिघा से वारिसलीगंज। भाया–शेखोपुर, शाहपुर ट्रिप–03 (03 अप 03 डाउन)	टैक्स–13.10.24 फिटनेश–03.12.24 बीमा–10.07.25 प्रदूषण–29.10.24	अप्राप्त	वाहन की आयु 15 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के नये वाहन से करने के शर्त पर परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
39	32	B.S.R.T.C. आई/सी– B.S.R.T.C. पता–परिवहन भवन, बीरचंद पटेल पथ, जिला–पटना।	BR01PF-1223 BUS (2014) 33 Seat मानदंड BS-IV	प्रकाशन–10.07.24 अधिसूचित मार्ग संख्या–3219 मुंगेर से चकाई। भाया–खड़गपुर, मल्लेपुर, जमुई एवं सोनो। ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–30.09.24 फिटनेश–02.05.25 बीमा–अप्राप्त प्रदूषण–10.10.24	1. आपतिकर्त्ता शम्भू शरण सिंह BR34P-1001 का कहना है कि जो चकाई से मुंगेर परमिट निर्गत है, आवेदनकर्त्ता जो चकाई से मुंगेर आती है उनका टाईम 01.00 बजे दोपहर मे है। यह वाहन चकाई से किमी0 का उल्लंघन कर 12.00 बजे चकाई से खुल कर जमुई 13.00 बजे खुल जाती है, चकाई से जमुई की दूरी 69 किमी0 है जो 1 किमी0 बराबर डेढ़ मिनट चलना सरकारी कानून है, ये गाड़ी 55 मिनट मे 69 किमी0 की दूरी तय कर मुझे तंग करने के नियत से समय–सारणी भरे है जिससे मुझे काफी क्षति होती है। आवेदनकर्त्ता एवं आपतिकर्त्ता का तय की गई समय–सारणी निम्न है :– आवेदनकर्त्ता – 1. जमुई से सोनो 41 किमी0– 25 मिनट मे 2. सोनो से चकाई 28 किमी0– 30 मिनट मे 3. चकाई से सोनो 28 किमी0–	दोनो आपतिकर्त्ताओं द्वारा समय–सारणी पर कोई आपति नही की गई है परन्तु गतिसीमा उल्लंघन के संबंध मे आपति की गई है। जमुई से सोनो एवं सोनो से चकाई की दूरी संबंधी प्रतिवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त होने के उपरांत विचार किया जाएगा। जिला परि0 पदा0, जमुई को निदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक – 28.08.2024 04.09.24 4.9.24

Scanned with CamScanner

						20 मिनट मे 4 सोनो से जमुई 41 किमी0– 20 मिनट मे आपत्तिकर्त्ता – 1 जमुई से सोनो 41 किमी0– 60 मिनट मे 2 सोनो से चकाई 28 किमी0– 45 मिनट मे 3 चकाई से सोनो 28 किमी0– 45 मिनट मे 4 सोनो से जमुई 41 किमी0– 60 मिनट मे अनुरोध है कि जिला परिवहन पदाधिकारी से किमी0 का सत्यापन कर अगली बैठक मे आवेदन रखने की कृपा की जाय। 2 आपत्तिकर्त्ता प्रसेनजीत कुमार BR46P-8001 का कहना है कि मुझे गढी से मुगेर परमिट निर्गत है, आपत्तिकर्त्ता जो जमुई से मुगेर 12 55 बजे दोपहर मे तथा आवेदनकर्त्ता जो चकाई से मुगेर आती है उनका टाईम 01 00 बजे दोपहर मे है। यह वाहन चकाई से किमी0 का उल्लघन कर 12 00 बजे चकाई से खुल कर जमुई 13 00 बजे खुल जाती है, चकाई से जमुई की दूरी 69 किमी0 है जो 1 किमी0 बराबर डेढ मिनट चलना सरकारी कानून है, ये गाडी 55 मिनट मे 69 किमी0 की दूरी तय कर मुझे तग करने के नियत से समय–सारणी भरे है जिससे मुझे काफी क्षति होती है। आवेदनकर्त्ता एव आपत्तिकर्त्ता का तय की गई समय–सारणी निम्न है – आवेदनकर्त्ता – 1 जमुई से सोनो 41 किमी0– 25 मिनट मे 2 सोनो से चकाई 28 किमी0– 30 मिनट मे 3. चकाई से सोनो 28 किमी0– 20 मिनट मे 4 सोनो से जमुई 41 किमी0– 20 मिनट मे अनुरोध है कि जिला परिवहन पदाधिकारी से किमी0 का सत्यापन कर अगली बैठक मे आवेदन रखने की कृपा की जाय।	
						आवेदनकर्त्ता का मार्ग मुगेर से चकाई है प्रथम आपत्तिकर्त्ता का मार्ग चकाई से मुगेर है एव द्वितीय आपत्तिकर्त्ता का मार्ग गढी से मुगेर है।	
40	33	श्री मृत्युजय कुमार पिता– कार्यानंदा सिह पता–हसनपुर, महिसोना जिला–लखीसराय ।	BR53C-1081 BUS (2016) 42 Seat मानदड BS-IV	प्रकाशन–12 08.24 अधिसूचित मार्ग सख्या–3229 लखीसराय से सिकन्दरा भाया–रामगढ एव हलसी। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–31.08.24 फिटनेश–04 10 25 बीमा–21 06 25 प्रदूषण–04 08 25	अप्राप्त	आवेदनकर्त्ता के अन्य वाहन स0–WB39-8652 का टैक्स फिटनेस, बीमा एवं प्रदूषण की वैधता समाप्त हो चुकी है। अतएव परमिट आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

बैठक-28.08.2024 04.09.24

4.9.24

Scanned with CamScanner

41	34	श्री मृत्युजय कुमार पिता– कार्यानदा सिह पता–हसनपुर, महिसोना जिला–लखीसराय।	BR53P-1081 BUS (2019) 42 Seat मानदड BS-IV	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग सख्या–3229 लखीसराय से सिकन्दरा। भाया–रामगढ एव हलसी। ट्रिप–04 (04 अप 04 डाउन)	टैक्स–03.10.24 फिटनेश–21.09.25 बीमा–11.07.25 प्रदूषण–04.08.25	आपत्तिकर्त्ता राम शकर कुमार BR21K-9504 का कहना है कि प्रस्तावित समय–सारणी निम्न टकराव है – आवेदक आपत्तिकर्त्ता हलसी प्रस्थान 08.25 08.29 रामगढ प्रस्थान 10.35 10.40 हलसी प्रस्थान 13.05 13.05 लखीसराय प्र0 15.05 15.05 रामगढ प्रस्थान 15.25 15.27 हलसी प्रस्थान 15.50 15.51 सिकन्दरा प्र0 17.10 17.05 हलसी प्रस्थान 17.25 17.30 आवेदनकर्त्ता तथा आपत्तिकर्त्ता का समय–सारणी मे लखीसराय मुख्य बिन्दु पर सेम समय–सारणी है तथा सिकन्दरा मुख्य बिन्दु मे 5 मिनट का अतराल है, मध्य बिन्दु हलसी पर सेम समय–सारणी है तथा अन्य स्थानो पर 1 मिनट, 3 मिनट एव 4 मिनट का अतराल है। आवेदनकर्त्ता का वाहन स0–WB39-8652 पर दिनाक 06.08.2019 से टैक्स बकाया है। आवेदनकर्त्ता का मार्ग लखीसराय से सिकन्दरा है तथा आपत्तिकर्त्ता का मार्ग सिकन्दरा से लखीसराय है।	आवेदनकर्त्ता के अन्य वाहन स0–WB39-8652 का टैक्स फिटनेस, बीमा एव प्रदूषण की वैधता समाप्त हो चुकी है। अतएव परमिट आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

कार्यावली संख्या – 04

प्राप्त परमिट के समय–सारणी में संशोधन तथा ट्रिप कटौती

42	35	श्रीमती कुमकुम देवी पति –श्री अजीत कुमार पता–पहसारा, जिला–बेगूसराय।	BR09PA-8528 BUS (2023) 41 Seat मानदड BS-VI	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग सख्या–3225DW बेगूसराय से भागलपुर रेलवे स्टे0 भाया– बलिया, खगडिया, मानसी, महेशखुट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरो0, भागलपुर जीरो0। ट्रिप–02 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–18.09.24 फिटनेश–18.09.25 बीमा–06.02.25 प्रदूषण–अप्राप्त	अप्राप्त	आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
43	36	श्रीमती सुनीता देवी पति–श्री सुधीर कुमार, पता–पहसारा, जिला–बेगूसराय।	BR09PA-6688 BUS (2021) 45 Seat मानदड BS-VI	प्रकाशन–12.08.24 अधिसूचित मार्ग सख्या–3225DW बेगुसराय से भागलपुर रे0स्टे0। भाया–बलिया, खगडिया, मानसी, महेशखूँट, पसराहा, नारायणपुर, थाना बिहपुर, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल ट्रिप–01 (01 अप 01 डाउन)	टैक्स–27.08.24 फिटनेश–12.09.25 बीमा–05.09.24 प्रदूषण–01.09.24	आपत्तिकर्त्ता श्री अकज कुमार BR09PA-6805 का कहना है कि आवेदनकर्त्ता मार्ग बेगूसराय से भागलपुर रे0 स्टेशन है, का आवेदनकर्त्ता द्वारा सशोधित समय–सारणी मे प्रथम खेप एव चतुर्थ खेप की कटौती हेतु आवेदन दिया है। पूर्व से प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट का मार्ग स0–3225 डाउन, मार्ग बेगूसराय से भागलपुर रे0 स्टेशन है, ट्रिप कटौती होने के उपरान्त मार्ग स0–3225 अप, भागलपुर रे0 स्टेशन से बेगूसराय हो जाता है, जो नियम सगत गलत है। आवेदनकर्त्ता एव आपत्तिकर्त्ता का मार्ग बेगूसराय से भागलपुर रे0 स्टेशन है।	आपत्तिकर्त्ता श्री अकज कुमार द्वारा सशोधन के बिन्दु बेगूसराय मे 12.21 पर कोई आपत्ति नही की गई है। आवेदनकर्ता द्वारा बेगूसराय से भागलपुर मार्ग पर इस वाहन को प्राप्त परमिट के समय सारणी के चार ट्रिप मे से प्रथम ट्रिप एव चतुर्थ ट्रिप का समय सारणी कटाव करने का आवेदन समर्पित किया गया है। अतएव समय सारणी मे उपरोक्त सशोधन एव उपरोक्त ट्रिप कटाव को स्वीकृत किया जाता है।

बैठक – 28.08.2024 04.09.24 4.9.24

Scanned with CamScanner

कार्यावली संख्या – 05

परमिट नवीकरण आवेदन

क्र० सं०	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम एवं पता	वाहन सं०/मोडल वर्ष/सीट की संख्या	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपो की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	प्राधिकार का निर्णय
44	44	श्री अविनाश कुमार पिता–बच्चु सिंह पता–पताळपुरी मंदिर, न्यू एरिया, जिला–नवादा।	BR27P-6753 BUS (2019) 42 Seat मानदंड BS-IV	अधिसूचित मार्ग संख्या– 3162DW जमुई से नवादा।सिकन्दरा, अलीगंज, चन्द्रदीप, आढ़मोड एवं पकडीबरमा। ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–18 03 25 फिटनेश–04 09 25 बीमा–07 07 25 प्रदूषण–01 09 24	परमिट का नवीकरण करने की स्वीकृति दी जाती है।

कार्यावली संख्या – 06

स्कूल बस परमिट आवेदन

क्र० सं०	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम एवं पता	वाहन सं०/मोडल वर्ष/सीट की संख्या	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपो की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	प्राधिकार का निर्णय
45	45	डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल पता– पूरब सराय गोशाला रोड, जिला–मुंगेर।	BR08P-3997 BUS (2018) 37 Seat मानदंड BS-IV	मुंगेर क्षेत्र अन्तर्गत बच्चो को घर से स्कूल लाना एवं स्कूल से घर पहुँचाना।	टैक्स–19 03 25 फिटनेश–22 08 25 बीमा–10 08 25 प्रदूषण–08 09 24	स्वीकृत किया जाता है।
46	46	डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल पता– पूरब सराय गोशाला रोड, जिला–मुंगेर।	BR08P-3998 BUS (2018) 37 Seat मानदंड BS-IV	मुंगेर क्षेत्र अन्तर्गत बच्चो को घर से स्कूल लाना एवं स्कूल से घर पहुँचाना।	टैक्स–19 09 24 फिटनेश–31 08 25 बीमा–19 07 25 प्रदूषण–08 09 24	स्वीकृत किया जाता है।

कार्यावली संख्या – 07

प्राप्त परमिट के समय–सारणी में ट्रिप की कटौती

क्र० सं०	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम एवं पता	वाहन सं०/मोडल वर्ष/सीट की संख्या	आवेदित मार्ग/दूरी एवं प्रतिदिन की जाने वाली ट्रिपो की सं० एवं कुल दूरी	वाहन के कागजात की स्थिति	प्राधिकार का निर्णय
47	47	श्री नित्यानंद सिंह पिता– श्री रामधन सिंह पता–गोरगामा, जिला–बेगुसराय।	BR06PF-1250 BUS (2021) 35 Seat मानदंड BS-VI	प्रकाशन–12 08 24 अधिसूचित मार्ग संख्या–3200 बेगुसराय से भागलपुर। भाया–बलिया, खगड़िया, मानसी, महेशखूंट, थाना बिहपुर, खरीक, नौगछिया जीरोमाईल, भागलपुर जीरोमाईल ट्रिप–02 (02 अप 02 डाउन)	टैक्स–17 09 24 फिटनेश–25 04 25 बीमा–16 04 25 प्रदूषण–10 05 25	आवेदनकर्ता द्वारा बेगूसराय से भागलपुर मार्ग पर निर्गत परमिट के समय सारणी के चार ट्रिप में से प्रथम ट्रिप एवं चतुर्थ ट्रिप का समय सारणी कटाव करने का आवेदन समर्पित किया गया है। उपरोक्त ट्रिप कटाव को स्वीकृत किया जाता है।

अन्यान्य

1. सभी वाहन स्वामी को निदेश दिया जाता है कि इस बैठक में स्वीकृत आवेदनों के आलोक में एक माह के अन्दर पूर्व से वांछित कागजातों के अतिरिक्त विगत तीन वित्तीय वर्षों का आयकर तथा पेशाकर भुगतान से संबंधित साक्ष्य एवं पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति जमाकर परमिट का उठाव करना सुनिश्चित करेंगे।

2. सभी वाहन स्वामियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि दिनांक–14.06.2024 की बैठक में स्वीकृत परमिट आवेदन के आलोक में परमिट प्राप्त करने हेतु अंतिम रूप से पन्द्रह दिनों का समय दिया जाता है। कार्यवाही प्रकाशन के पन्द्रह दिनों

बैठक-28.08.2024 04.09.24 4.9.24

Scanned with CamScanner

के पश्चात् ऐसे सभी स्वीकृत परमिट आवेदन/ऑनलाईन प्रविष्टि के उपरान्त परमिट प्राप्त नहीं करने की स्थिति में (कार्यालय स्तर से लम्बित मामलों को छोड़कर) सभी को अस्वीकृत करते हुए ऑनलाईन से आवेदन को हटा दिया जाएगा।

3. सभी वाहन स्वामी को निदेश दिया जाता है कि अपने वाहन में **VLTD** सक्रिय करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा परमिट निर्गत नहीं किया जायेगा।

4. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं सभी मोटरयान निरीक्षक अपने क्षेत्रान्तर्गत वाहनों की सघन जाँच करना सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी विडियोग्राफी कराना भी सुनिश्चित करेंगे। जाँच के दौरान किसी तरह की अनियमितता पाए जाने पर तुरंत संबंधित वाहन स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

5. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि सभी वाहनों में लगे **VLTD** की जाँच करेंगे तथा प्राप्त परमिट के अनुरूप यदि परिचालन नहीं किया जा रहा है तो उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम में सभी प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए इस प्राधिकार को संसुचित करेंगे।

6. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वाहन स्वामियों द्वारा परमिट की शर्त्तों के अनुसार वाहन की बॉडी के प्रवेश द्वार (बाहरी भाग) पर 1½ फीट X 2 फीट आकार में वाहन स्वामी का नाम एवं पता, चालक का नाम, अनुज्ञप्ति संख्या, परमिट संख्या, उसकी वैधता, मार्ग संख्या भाया सहित समय सारणी एवं वाहन के भीतर सरकार द्वारा निर्धारित भाड़ा तालिका स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

7. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उनके जिला में निबंधित वाहन, जिसे इस प्राधिकार द्वारा परमिट निर्गत किया गया है, द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन करने वाले एवं अनुपालन नहीं करने वाले वाहनों की सूची तथा अनुपालन नहीं करने वाले वाहनों के विरूद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक सप्ताह इस कार्यालय में समर्पित करेंगे।

8. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल को आदेश दिया जाता है कि वे परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आदेश के आलोक में ओवरलोडिंग एवं बिना परमिट के तथा बिना टैक्स भुगतान किये अवैध रूप से परिचालित वाहनों की सघन जाँच करते हुए किसी तरह की अनियमितता पाये जाने पर उक्त वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेगे तथा कृत कार्रवाई संबंधी साप्ताहिक प्रतिवेदन विभाग को भेजते हुए इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

9. सभी जिला परिवहन पदाधिकारी यह जाँच करना सुनिश्चित करेंगे कि जितने वाहनों को परमिट निर्गत किये गये हैं, उक्त वाहन ऑन रोड संचालित है या नहीं। जाँचोपरान्त जो भी वाहन ऑफ रोड पाये जाते हैं, उनके विरूद्ध तुरंत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए कार्रवाई प्रतिवेदन इस प्राधिकार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

10. सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने वाहन के 15 (पन्द्रह) वर्ष की आयु के पूर्ण होने की अवधि के तीन माह पूर्व अपने परमिट का प्रतिस्थापन नये उच्च मॉडल के वाहन से कराना सुनिश्चित करेंगे।

11. सभी वाहन स्वामियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने वाहन के परमिट की अवधि की समाप्ति के तीन माह पूर्व परमिट का नवीकरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

12. सभी वाहन स्वामियों को निदेश दिया जाता है कि ऑफलाईन परमिट की ऑनलाईन प्रविष्टि कार्यालय स्तर से की जा रही है। अतएव ऑफलाईन परमिट की ऑनलाईन प्रविष्टि कराना सुनिश्चित किया जाय। ऑफलाईन परमिट से किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी और न ऑफलाईन परमिट का नवीकरण ही किया जाएगा।

13. सभी विद्वान अधिवक्ता बैठक में ही वाहन स्वामी से संबंधित वकालतनामा कार्यालय में समर्पित करेंगे।

बैठक - 28.08.2024 04.09.24 4.9.24

Scanned with CamScanner

बैठक - 28.08.2024

14. सभी वाहन स्वामियों को निदेश दिया जाता है कि आवेदन/आपत्ति करते समय वाहन के सभी अद्यतन मान्य कागजात (टैक्स, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण, SLD, VLTD इत्यादि) समर्पित करेंगे, अन्यथा आवेदन/आपत्ति स्वीकार नही किया जायेगा।

15. कार्यालय द्वारा ऑनलाईन परमिट आवेदन करने की निर्धारित तिथि से पूर्व अथवा उक्त निर्धारित अवधि के बाद ऑनलाईन समर्पित किये गये आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। ऑनलाईन किये गये आवेदन में तिथि के साथ समय का अंकण नहीं होने के कारण कार्यालय में ऑफलाईन आवेदन जमा करने के क्रम से ही आवेदन को वरीयता दी जाएगी।

16. ऑनलाईन आवेदन जमा करने के पश्चात् सभी वांछित कागजातों के **Hard Copies** (मूल शपथ–पत्र, विहित प्रपत्र में समय–सारणी) सहित सभी कागजात कार्यालय द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। **Hard Copy** जमा नहीं करने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने के बावजूद उक्त आवेदन की मान्यता नहीं दी जाएगी तथा वैसे आवेदन को बैठक में निर्णय हेतु नहीं रखा जाएगा।

17. कार्यालय द्वारा आपत्ति समर्पित करने की अवधि को समय सारणी के प्रकाशन के उपरांत तीन दिनों से घटा कर दो दिन किया जाता है। आपत्तिकर्ता अनिवार्य रूप समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्रशाखा पदाधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।	अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।	संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।	आयुक्त–सह–अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर।

ज्ञापांक :– सा0–01–01/2023 287/परि0, मुंगेर, दिनांक :– 06/09/2024

प्रतिलिपि –सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि –श्री नीरज कुमार, आई0टी0 सहायक, आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को मुंगेर प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

Scanned with CamScanner